कार्यालय : जिला एवं सैशन न्यायाधीश, कोटपूतली, जिला कोटपूतली–बहरोड़

क्रमांक :– 141 दिनांकः– 24.4.26

## कार्यालय आदेश

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के परिपत्र की पालना में माह मई 2026 के राजकीय अवकाशों में विशिष्ठ न्यायालय, एनडीपीएस एक्ट, पोक्सो एक्ट के प्रकरणों में द्वितीय रिमाण्ड से संबंधित कार्य के लिए इस न्यायक्षेत्र के निम्नांकित अधिकारियों को कॉलम संख्या 02 में अंकित अवकाश दिवसों में कम संख्या 01 लगायत 06 के आगे अंकित दिनांकों को समय 08 एएम से 11 एएम तक आवश्यकता हो तो द्वितीय रिमाण्ड से संबंधित कार्य करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

| क० स०, | दिनांक, | न्यायालय का नाम | नाम अधिकारी / मोबाईल नम्बर, |
|---|---|---|---|
| 01 | 03.05.2026<br>28.05.2026 | अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश कम–01, कोटपूतली। | श्री राजेश कुमार, 9414454410 |
| 02 | 09.05.2026 | अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश कम–04, कोटपूतली। | डॉ. सुरेश कुमार, 9461879796 |
| 03 | 10.05.2026<br>31.05.2026 | अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश कम–01, बहरोड | श्रीमती ऑचल अग्रवाल,9784461465 |
| 04 | 17.05.2026 | अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश कम–03, कोटपूतली। | डॉ. अंजुम खान, 9413211224 |
| 05 | 23.05.2026, | अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश कम–02, बहरोड। | श्रीमती अश्का राव, 9314053738 |
| 06 | 24.05.2026 | अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, बानसूर | श्रीमती अजन्ता अग्रवाल, 9414045533 |

Sd–
जिला एवं सेशन न्यायाधीश
कोटपूतली(राज.)। 24.4.26

क्रमांकः 1780 - 1801 दिनांकः 24.4.26

प्रतिलिपि अग्रलिखित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हैः–

1. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश बानसूर, कम–01/03/04 कोटपूतली, कम–01/02 बहरोड़।
2. जिला मजिस्ट्रेट, जिला कोटपूतली–बहरोड़
3. पुलिस अधीक्षक, कोटपूतली, जिला कोटपूतली–बहरोड़ को प्रेषित कर लेख है कि वे अपने अधीन पुलिस थानों को सूचित करें।
4. अध्यक्ष दी बार एसोसिएशन, कोटपूतली / बहरोड़ / बानसूर / नीमराना/पावटा / विराटनगर
5. सिस्टम सहायक, जिला न्यायालय, कोटपूतली को इस न्यायक्षेत्र की वेबसाईट पर अपलोड/ समस्त न्यायालयों को ईमेल करने हेतु।
6. अपर लोक अभियोजक, न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, / बानसूर, कम–01/03/04 कोटपूतली, 01/02 बहरोड़।
7. नोटिस बोर्ड, कार्यालय हाजा।
8. आदेश पत्रावली / सम्बन्धित पत्रावली ।

24.4.26
जिला एवं सेशन न्यायाधीश
कोटपूतली(राज.)।